राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 53/2009/जयपुर.

मैसर्स इण्डियाना क्लासिक होटल प्रा0 लिमिटेड, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राज. वृत–II, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/11/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 27.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 29.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का सर्वेक्षण दिनांक 11.12.2001 को किया गया था जिसमें अभियोग बनाया जाकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.07.2002 को पारित किया गया था। उस आदेश से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2004 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में दिनांक 19.07.2004 को वर्ष 2001–02 का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। विवादित अवधि में रूपये 4.95 लाख की करापवंचित बिक्री पर 8 प्रतिशत से कर, तद्नुसार ब्याज एवं शास्ति भी आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश से पुनः व्यथित होकर अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रतिप्रेषित निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई करने के पश्चात् न्यायिक आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी फर्म, जो कि एक होटल व्यवसायी है, के स्टाफ को निःशुल्क उपलब्ध कराये गये भोजन पर करारोपण नहीं किया गया एवं अभिग्रहित पर्चियों में से किचिन ऑर्डर टिकिट (KOT) से सम्बन्धित

लगातार.....2

जो बिल जारी किये जाना सत्यापित हुआ था उन पर भी करारोपण नहीं किया गया था परन्तु पुनः जांच में ऐसे विक्रय संव्यवहारों पर, जिनके बिल जारी नहीं किये जाना एवं लेखा–पुस्तकों से छिपाया जाना पाया गया था, उन पर ही करारोपण किया गया है, अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा गया। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 27.10.2008 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रूपये 3,98,745/–, रूपये 43,776/–, रूपये 34,254/– व रूपये 16,922/– की बिक्री पर जो कर आरोपित किया गया है वह अविधिक है क्योंकि जो किचिन ऑर्डर टिकिट की ट्रिप्लिकेट कॉपी थी, उसके तहत लिये गये ऑर्डर के सारे बिल जारी किये गये थे एवं यह बुक अभिग्रहित किये जाने के फलस्वरूप इनके अन्तिम अवधि में बिल जारी नहीं किये जा सके थे। अतः उन पर किया गया करारोपण अनुचित होने से अपास्त किया जावे। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके समस्त संव्यवहार बहियात में दर्ज थे इसलिए किसी तरह की करवंचना की मंशा नहीं होने से आरोपित शास्ति को भी अपास्त किया जावे।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म को सुनवाई का दो बार मौका दिया जा चुका है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः जांच के पश्चात् ही आदेश पारित किया गया है अतः बार–बार उसी बिन्दु पर जो अपील प्रस्तुत की जा रही है वह अनुचित है एवं प्रथम बार उपायुक्त (अपील्स) द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात् पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है एवं किचिन ऑर्डर टिकिट के तहत जो आदेश दिये गये थे उनसे सम्बन्धित जो बिल जारी नहीं हुए थे उनपर ही करारोपण किया गया है एवं जिन टिकिट्स के बिल जारी थे उन पर कोई करारोपण नहीं किया गया है अतः अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचन के साथ अपील अस्वीकार की है जो विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो प्रथम बार आदेश पारित किया गया था उसमें सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिये जाने के बिन्दु पर न्यायहित में अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 11.03.2004 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, उसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई का

लगातार.....3

अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया है एवं जो खाद्य पदार्थ स्टाफ को निःशुल्क दिये गये हैं, उन पर कोई करारोपण नहीं किया गया तथा किचिन ऑर्डर टिकिट पर जिन बिक्रियों के बिल जारी किये गये थे, उन पर भी कोई करारोपण नहीं किया गया है, परन्तु जिन टिकिट्स एवं अन्य दस्तावेजों का मिलान बिलबुक या बहियात में नहीं हुआ था, उनपर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जिसमें कोई अविधिकता नहीं है, परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई के दौरान यह कथन किया है कि उनके कुछ टिकिट ऐसे थे, जिनके बिल जारी किये गये थे एवं यह भी कथन किया है कि चूंकि किचिन ऑर्डर टिकिट की डायरी अभिग्रहित हो गयी थी तो उसके पश्चात् उसके बिल जारी करने से रह गये थे अतः उन मामलों में जांच हेतु पुनः अवसर दिया जाना चाहिये। अतः प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए केवलमात्र इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि किचिन ऑर्डर टिकिट से सम्बन्धित बिल जो सर्वेक्षण के तत्काल पूर्व के हैं एवं उनके बिल बाद में जारी किये गये हैं तो उनका मिलान कर यदि लेखांकन पाया जाता है तो उस सीमा तक मांग में कमी करें।

7. फलतः उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य